राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1956/2010/भरतपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भरतपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स प्रीति सुपारी कम्पनी,
भरतपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद, ...अपीलार्थी की ओर से.
उप–राजकीय अभिभाषक।
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04.12.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग यह अपील अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 56/उपा–अपील्स/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 03.02.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन भरतपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 30 सपठित धारा 58 व 65 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.05.2008 के जरिये आरोपित की गई मांग राशियों को अपास्त रखते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके विरूद्ध राजस्व द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शिकायत के आधार पर दिनांक 02.04.2008 को प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण व्यवसाय स्थल पर सुपारी व कन्फेक्शनरी का व्यवसाय किया जा रहा था लेकिन हिसाबी पुस्तकें व्यवसाय स्थल पर नहीं पायी गई। व्यसायी का वर्ष 2004–05 को नियमित कर निर्धारण दिनांक 01.08.2006 को किया गया। जिससे सुपारी की बिक्री 2838938 कन्फैक्शनरी की बिक्री 36000/– पर करारोपण किया गया। व्यवसायी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर वाद सी.एस. (ओ.एस.) ने 644/2007 में वर्ष 2004–05 में कुल टर्नओवर रूपये 2847838/– घोषित किया हुआ है जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी उक्त बिक्री को विवरण पत्रों में प्रदर्शित नहीं करने के उक्त बिक्री को कन्फैक्शनरी की मानकर अधिनियम की धारा 30 के तहत छूटी हुई बिक्री मानकर (रूपये 2847838 – 36000) 2811838 पर कर रूपये 253065 व धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 506130 व धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 108813/– आरोपित किया। उक्त पारित आदेशा के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश किए जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.02.2010 से अपील स्वीकारते हुए प्रतिप्रेषित की, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है। साथ ही प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 26.03.2012 को पारित कर दिया।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. प्रकरण में उप राजकीय अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति प्रकट करते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 03.02.2010 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये है, जिनकी पालना में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने उभयपक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक 26.03.2012 द्वारा विस्तृत आदेश पारित

लगातार.....2

कर दिये है। चूंकि व्यवहारी द्वारा यह विवादित अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.02.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना होने से अस्तित्व में नहीं हैं, अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
(ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8
(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

6. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 03.02.2010 को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना आदेश दिनांक 26.03.2012 पारित कर दिया है, जिससे वर्तमान में लम्बित यह अपील निष्प्रभावी हो जाती है।

7. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

8. रिकॉर्ड का परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत अपील को अपने आदेश दि. 03.02.2010 द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन अपने आदेश दिनांक 26.03.2012 को कर दिया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, जिसका संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है** :–

> "In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

9. उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर. टी.टी.) से भी मेल खाते है। राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णय तथा उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में दिनांक **23.03.2012** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है ।

10. परिणामतः अपील "सारहीन" होने के कारण खारिज की जाती है।

11. निर्णय प्रसारित किया गया ।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य